NBSA
NEWS BROADCASTING STANDARDS AUTHORITY

# घायल और बीमार लोगों की रिपोर्टिंग के लिए विशेष दिशा-निर्देश

अस्पतालों और इसी तरह के अन्य संस्थानों में लोगों से संबंधित खबर को कवर करने के लिए विशेष संवेदनशीलता और सावधानी की आवश्यकता होती है। ख़ास तौर पर ऐसे मामलों में पीड़ितों और रोगियों की निजता और गरिमा के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

ऐसे स्थानों में की गयी किसी ऑडियो और/ वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने का निर्णय करने के पहले यह सन्तुलन कर देखा जाना आवश्यक है कि एक तरफ़ वह ख़बर जनहित में कितनी ज़रूरी है और दूसरी तरफ़ उसके फ़िल्मांकन/ प्रसारण से रोगी या मृतक व्यक्ति के मामले में उसके परिवार को क्या तकलीफ़ पहुँच सकती है।

अति संवेदनशील स्थानों जैसे एम्बुलेन्स, अस्पताल इत्यादि में फिल्मांकन करने के लिए ब्रॉडकास्टर को आम तौर पर व्यक्ति/ रोगी की देखभाल कर रही टीम या किसी अन्य सम्बन्धित व ज़िम्मेदार व्यक्ति की सहमति लेनी चाहिए।

रोगी की निजता और गोपनीयता का अधिकार सर्वोपरि है। ब्रॉडकास्टर को फ़िल्माये गये व्यक्तियों और या उनके परिजनों की स्पष्ट और समझ-बूझ कर दी गयी सहमति के बिना आम तौर पर उनकी किसी भी फुटेज को प्रसारित नहीं करना चाहिए, और यह भी तब जब ऐसा प्रसारण जनहित में हो।

संवेदनशील स्थानों जैसे अस्पताल और अन्य स्थानों में चिकित्सा प्राप्त कर रहे व्यक्तियों पर रिपोर्टिंग करते समय  निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए:

1. ब्रॉडकास्टर को पीड़ा या वेदनाग्रस्त व्यक्ति का फिल्मांकन या साक्षात्कार नहीं करना चाहिए।

2. कोई भी ब्रॉडकास्टर किसी दुर्घटना से प्रभावित, घायल और/ या अस्पतालों या इसी तरह के अन्य स्थानों में इलाज करा रहे व्यक्ति की निजता या गरिमा का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि जनहित में ऐसा करना उचित हो, तब भी ऑडियो और वीडियो दोनों की रिकार्डिंग में ऐसी सावधानी बरती जानी चाहिए, जिससे रोगी की निजता का कम से कम उल्लंघन हो। लेकिन ऐसी रिकार्डिंग पर यदि रोगी या उसके पक्ष के किसी व्यक्ति को आपत्ति हो, तो ब्रॉडकास्टर को उसका कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए।

3. कोई भी ब्रॉडकास्टर किसी अस्पताल या ऐसे ही अन्य स्थानों के किसी आपात चिकित्सा कक्ष, गहन चिकित्सा इकाई, वार्ड, कमरा या अन्य चिकित्सकीय अनुभाग में वहाँ के सम्बन्धित व्यक्तियों की स्पष्ट सहमति प्राप्त किये बिना प्रवेश नहीं करेगा।

4. कोई भी ब्रॉडकास्टर किसी अस्पताल या ऐसे ही अन्य स्थानों में चिकित्सा प्राप्त कर रहे रोगी के परिवार, सम्बन्धियों या मित्रों की स्पष्ट सहमति प्राप्त किये बगैर रोगी के कमरे के अंदर नहीं जायेगा या उनसे संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।

5. बच्चों के मामले में ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय तो और भी ज़्यादा सावधानी रखी जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ऐसे मामलों की संवेदनशीलता कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है।

6. ऐसे मामलों में जब रोगी को दिखाया जाना उचित हो, तब रोगी के चेहरे और शरीर के संवेदनशील हिस्सों को समुचित रूप से ढका जाना चाहिए।

7. अस्पतालों और ऐसे अन्य संस्थानों में देखभाल में लापरवाही या कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार, कदाचार इत्यादि जैसे जनहित के अनेक विषयों से सम्बन्धित घटनाओं की रिपोर्टिंग करने का ब्रॉडकास्टर्स को पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय भी रोगियों, पीड़ितों और घायलों के चेहरे और पहचान छिपा कर उनकी निजता और गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी निजता और गरिमा का किसी भी प्रकार से हनन न हो।

8. ब्रॉडकास्टर्स को हमेशा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नियम 2006 का पालन करना चाहिए।

5 मार्च, 2012